भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 4243
20 दिसंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

अंगदान

4243. श्रीमती पूनमबेन माडम:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अंगदान के संबंध में कोई दिशानिर्देश विद्यमान हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षा के दौरान दान किए गए अंगों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा कया है; और
(ग) सरकार द्वारा अंगदान को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): मानव अंग और ऊतक प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 (2011 में यथा संशोधित), और मानव अंग और ऊतक प्रतिरोपण नियम, 2014, में अंग दान के लिए दिशानिर्देश प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा, देश में अंग दान और प्रत्यारोपण के संबंध में निम्नलिखित दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं (राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (नोट्टो) की वेबसाइट अर्थात् https://www.notto.mohfw.gov.in/ पर उपलब्ध हैं):

1. राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं और इसके कार्यान्वयन के लिए प्रचालन दिशानिर्देश, वर्ष 2015 में प्रकाशित हुए, बाद में इसके अद्यतन दिशानिर्देश वर्ष 2021 में प्रकाशित हुए।

2. प्रमुख अंगों और ऊतकों जैसे किडनी, हृदय, यकृत, फेफड़े, हृदय-फेफड़े और कॉर्निया प्रत्यारोपण के लिए आवंटन मानदंड (दिशानिर्देश)।

3. निम्नलिखित के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) /प्रोटोकॉल
   - ब्रेन स्टेम मृत दाताओं का प्रबंधन
   - विभिन्न अंगों की पुनर्प्राप्ति

- किडनी और हृदय के दाता और प्राप्तकर्ता
- अंग परिवहन (2024 में प्रकाशित)

4. वर्ष 2024 में प्रकाशित नोट्टो ट्रांसप्लांट मैनुअल।

पिछले तीन वर्षों के दौरान दान किए गए अंगों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पिछले दस वर्षों के दौरान देश में अंग और ऊतक दान तथा प्रत्यारोपण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम (एनओटीपी) का कार्यान्वयन, जिसका उद्देश्य मृतक अंग दान के बारे में जागरूकता बढ़ाकर, प्रत्यारोपण के लिए अंग प्रापण और वितरण के लिए एक कुशल तंत्र का आयोजन करके, सार्वजनिक क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करके, जनशक्ति को प्रशिक्षित करके देश के जरूरतमंद नागरिकों के लिए अंग प्रत्यारोपण तक पहुंच में सुधार करना है।

- एनओटीपी के तहत, तीन स्तरों पर समर्पित संस्थानों के साथ एक त्रि-स्तरीय नेटवर्क स्थापित किया गया है। ये त्रि-स्तरीय संस्थान हैं- एक राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (नोट्टो), पांच क्षेत्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (रोट्टो), और 21 राज्य अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (सोट्टो)। वर्तमान में, अंग/ऊतक प्रत्यारोपण, अंग पुनर्प्राप्ति और ऊतक बैंकिंग में शामिल 900 से अधिक संस्थान और अस्पताल नेटवर्क से जुड़े हुए हैं।

- जागरूकता पैदा करने के लिए देश भर में गतिविधियाँ आयोजित की जाती हैं, जैसे कि प्रतिवर्ष भारतीय अंग दान दिवस मनाना, सेमिनार, वेबिनार, कार्यशालाएँ, वाद-विवाद, खेल आयोजन, वॉकथॉन, मैराथन, नुक्कड़ नाटक, कानूनी संगोष्ठी, नोट्टो वैज्ञानिक संवाद आदि का आयोजन किया जाता है।

- सरकार ब्रेन स्टेम डेथ और अंगदान के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए सरकारी मंत्रालयों और विभागों, कानूनी प्रतिनिधियों, चिकित्सा और पराचिकित्सा पेशेवरों, कॉरपोरेट्स, पुलिस कर्मियों, विभिन्न गैर सरकारी संगठनों, स्कूल और कॉलेज के छात्रों, समुदाय-आधारित संगठनों आदि जैसे विभिन्न हितधारकों के साथ सहभागिता करती है। अंगदान के बारे में जानकारी देने के लिए स्कूली बच्चों के साथ नियमित कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। जागरूकता बढ़ाने, प्रतिज्ञा पंजीकरण और MyGov के माध्यम से प्रतियोगिताओं के लिए विशेष अभियान चलाए गए हैं। नोट्टो टीवी, रेडियो और अन्य दृश्य-श्रव्य मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया आदि पर विशेषज्ञों और कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा वार्ता के माध्यम से अंगदान को बढ़ावा देता है।

- प्रत्यारोपण/पुनर्प्राप्ति अस्पतालों में आईसीयू और अन्य कार्यनीतिक स्थानों के बाहर अंगदान पर डिस्प्ले बोर्ड प्रदर्शित किए जाते हैं।

- जुलाई, 2023 के महीने में सभी केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को शामिल करते हुए अंगदान महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें MyGov प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न

जागरूकता तथा अंगदान प्रतिज्ञा संबंधी गतिविधियाँ और प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के माध्यम से हर साल अंगदान को बढ़ावा दिया जाता है और हाल ही में जी-20 कार्यक्रमों के दौरान भी इसे बढ़ावा दिया गया। गांव स्तर तक जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ष 2023 में सेवा पखवाड़ा, आयुष्मान भव पहल, विकसित भारत संकल्प यात्रा आदि के दौरान अंगदान को बढ़ावा दिया गया।

- वर्ष 2024 में अंगदान जन जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें जुलाई में अंगदान माह मनाया गया। अभियान की गतिविधियों को केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य संगठनों के माध्यम से निष्पादित किया गया है। 14वां भारतीय अंगदान दिवस 3 अगस्त, 2024 को आयोजित किया गया, जिसमें मृतक अंगदाताओं के परिवारों को सम्मानित किया गया और अंगदान और प्रत्यारोपण के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान के लिए पुरस्कार वितरित किए गए। कार्यक्रम के दौरान नोट्टो की वार्षिक रिपोर्ट, अंग परिवहन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और नोट्टो ई-न्यूज़लेटर भी जारी किया गया।

- एक वेबसाइट (www.notto.mohfw.gov.in) शुरू की गई है, साथ ही अंग दान के लिए सूचना, टेली -परामर्श प्रदान करने और समन्वित सहायता करने के लिए एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर (1800114770) के साथ एक 24x7 कॉल-सेंटर की स्थापना की गई है।

- सितंबर 2023 में अंग और ऊतक दान प्रतिज्ञाओं के पंजीकरण की सुविधा के लिए आधार से जुड़ा डिजिटल वेब पोर्टल (notto.abdm.gov.in) शुरू किया गया है। आज दिन तक, 2 लाख से अधिक नागरिकों ने मृत्यु के बाद अपने अंग और ऊतक दान करने का संकल्प लिया है।

- एनओटीपी के तहत, रोट्टो/सोट्टो की स्थापना, सरकारी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे जैसे कि अंग प्रत्यारोपण/पुनर्प्राप्ति केंद्र/ऊतक बैंक आदि का संवर्द्धन, मेडिकल कॉलेजों और ट्रॉमा सेंटरों द्वारा प्रत्यारोपण समन्वयकों की भर्ती, मृतक दाताओं का रख-रखाव, अंग परिवहन, प्रत्यारोपण के बाद इम्यून-सप्रैसेंट दवाएं, जागरूकता पहल, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आदि के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान प्रदान किया जाता है।

- प्रत्येक मृतक दाता के सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए 10,000/- रुपये का अनुदान प्रदान किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे मृतक अंग दाताओं और उनके परिवार के सदस्यों को दान के समय सम्मान के तौर पर शॉल, प्रमाण-पत्र और पुष्प भेंट करके सम्मानित करें, जिसके लिए एनओटीपी के तहत प्रति दाता 1,000/- रुपये का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है।

- एक समान अंग परिवहन नीति सुनिश्चित करने के लिए 14वें भारतीय अंग दान दिवस के अवसर पर 3 अगस्त, 2024 को अंग परिवहन के लिए एसओपी शुरू किए गए।

.*****

अनुलग्नक

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पिछले 3 वर्षों के दौरान अंग दान की संख्या, जैसा कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा रिपोर्ट किया गया है (प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर के बीच)		
		2021	2022	2023
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	235	333	397
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
4	असम	38	64	57
5	बिहार	25	22	25
6	चंडीगढ़	168	180	323
7	छत्तीसगढ़	32	71	67
8	दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	0	0	0
9	दिल्ली	1750	3795	4341
10	गोवा	7	3	4
11	गुजरात	670	827	780
12	हरियाणा	898	81	94
13	हिमाचल प्रदेश	2	2	0
14	जम्मू और कश्मीर	21	52	51
15	झारखंड	2	7	8
16	कर्नाटक	374	510	925
17	केरल	1004	1437	1395
18	लद्दाख	0	0	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	172	236	281
21	महाराष्ट्र	1146	1327	1641
22	मणिपुर	10	17	41
23	मेघालय	0	0	0
24	मिजोरम	0	0	0
25	नागालैंड	0	0	0
26	ओडिशा	125	176	194
27	पुदुचेरी	23	34	56
28	पंजाब	484	535	603
29	राजस्थान	399	587	742
30	सिक्किम	0	0	0
31	तमिलनाडु	1479	1846	2011
32	तेलंगाना	828	849	1007
33	त्रिपुरा	0	0	0
34	उत्तर प्रदेश	509	232	436
35	उत्तराखंड	3	4	26
36	पश्चिम बंगाल	794	1073	1037
कुल		**11198**	**14300**	**16542**

*****